उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1040/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(201)-2021
लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या-1 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ii) क्रम संख्या 9कक के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "भारत में आयोजित होने वाले" के पूर्व शब्द "जब भी पुनर्निर्धारित हो", बढ़ा दिये जायेंगे;

(iii) क्रम संख्या 9कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. (एशियाई फुटबाल परिसंघ) महिला एशिया कप, 2022 के अधीन किसी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाएं	शून्य	परन्तु यह कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एएफसी महिला एशिया कप 2022 के अन्तर्गत आने वाले किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

(iv) क्रम संख्या 9घ और 13 के समक्ष स्तम्भ (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" बढ़ा दिये जायेंगे;

(v) क्रम संख्या 19क और 19ख के समक्ष, स्तम्भ (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, अंक "2022" रख दिये जायेंगे;

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल	शून्य	शून्य";

		ढुलाई हेतु राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।		

(viii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द जिसके लिये "कुल व्यय" के पश्चात्, अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ix) क्रम संख्या 74क और 80 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के पश्चात शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" बढ़ा दिये जायेंगे;

(x) क्रम संख्या 82क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82ख	शीर्ष 9996	एएफसी (एशियाई फुटबाल परिसंघ) महिला एशिया कप 2022 के अन्तर्गत आयोजित होने वाले आयोजन मे प्रवेश का अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

2. यह अधिसूचना तारीख 01 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव